

FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम- 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ) सिवाना जिला बालोतरा

वादी / वादीगण गणपतसिंह पुत्र रूगनाथसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू तहसील सिवाना जिला बालोतरा	बनाम प्रतिवादी / प्रतिवादीगण 1. प्रेमसिंह पुत्र रूगनाथसिंह जाति राजपूत निवासी पादरू जिला बालोतरा वगैरह (4) 5 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा 6 उप पंजीयक सिवाना जिला बालोतरा
--	--

किस्म मुकदमा.....धारा 53,188 RT Act.

मुकदमा नंबर:-01/2026

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
---------------	----------------------------------	---

05.01.2026

वादी गणपतसिंह की ओर से वकील श्री गणपतसिंह ने यह वाद पत्र प्रतिवादी प्रेमसिंह वगैरह के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 53,188 RT Act. का प्रस्तुत किया, जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 06.02.2026 को पेश हो।

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर (SDO) सिवाना

27-01-2026

वादी वकील के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज तलब की गई। वादी वकील ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रादेश 23 नियम 1 व 3 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि एकर दावा प्रस्तुत करते एकर वाद के शीर्षक भाग में त्रुटि के कारण वादी के स्थान पर प्रतिवादी का नाम संशोधित त्रुटि से दर्ज हो गया है। अतः एकर वादपत्र पुनः पेश करने की अनुमति के साथ विज्ञे की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया।
इसने वादी वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पत्रावली का अवलोकन किया। वादी प्राधिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत प्रादेश 23 नियम 01 व 03 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी को नया वाद प्रस्तुत करने के एकर को सुझावित रखने हुए। वादी का वाद जरिये विज्ञे खारिज किया जाता है।
पत्रावली अंततः शुमार लेकर वापस दफ्तार हो

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

